

संख्या-2130/81-2-2023-800(144)/2019

प्रेषक,

नीता चौधरी,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 अगस्त 2023
विषय- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-मथुरा
रोड (एन०एच०-80) किमी० 05 दांयी पटरी खसरा संख्या-30 ग्राम दौलताबाद तहसील कोल
जनपद अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग
निर्माण में प्रभावित 0.07595 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग
की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4098/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017 दिनांक
30.06.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
के उल्लंघन के लिए तत्कालीन अपर जिलाधिकारी nks"kh नहीं पाये गये हैं क्योंकि उनके
द्वारा केवल रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु एन०ओ०सी० दी गयी थी। इससे यह विदित
होता है कि प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर
वानिकी प्रयोग के संबंध में रिटेल आउटलेट जिसके पक्ष में स्वीकृत किया गया है, उसके द्वारा
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन किया गया है। कृपया विषयगत प्रस्ताव में हुए
उल्लंघन हेतु दोषी एजेन्सी/व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की
सुस्पष्ट आख्या अपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण
में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीया,

Signed by नीता चौधरी

Date: 04-08-2023 13:07:29

नीता चौधरी

उप सचिव।